पत्रांक—1प्रा0आ0—84 / 2003 (खंड) 1976 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारी।
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

पटना—15, दिनांक— 23.7.18

विषय— **नई सरकारी देशी नावों के क्रय के संबंध में।**

प्रसंग — विभागीय पत्रांक—3667 / आ0प्र0, दिनांक—13.12.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा नये देशी नावों के क्रय हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिलों को राशि आवंटित नहीं किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया था। परन्तु उक्त विभागीय पत्र में यह भी अंकित है कि **"दिनांक— 06.09.2017 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक बाढ़ प्रवण पंचायत में 5—5 नावे उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसके रख—रखाव एवं बाढ़ के समय परिचालन की जवाबदेही संबंधित मुखिया की होगी। उक्त नावों में आदर्श नियमावली नौका परिचालन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।"** फलस्वरूप यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि जिलों द्वारा देशी नावों का क्रय किया जायेगा अथवा नहीं।

2. अतः उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है : —

(क) दिनांक- 13.12.2017 के पश्चात् आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा नये देशी नावों के क्रय हेतु जिलों को राशि आवंटित नहीं की जायेगी। उक्त तिथि के पूर्व क्रय किये गये देशी नावों की राशि / बकाया राशि के भुगतान हेतु क्रय किये गये देशी नावों का जिलो से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा Random Verification के आधार पर ही राशि आवंटित की जायेगी।

(ख) जहाँ तक, दिनांक–06.09.2017 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक में प्रत्येक बाढ़ प्रवण पंचायत में 5–5 नावें उपलब्ध कराने संबंधी लिये गये निर्णय का प्रश्न है, उसे निम्नानुसार पढ़ा जाय –

"दिनांक– 06.09.2017 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक में ***माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में अनौपचारिक रूप से यह सुझाव आया है कि प्रत्येक बाढ़ प्रवण पंचायत में 5–5 नावों सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाय, जिसके*** *रख–रखाव एवं बाढ़ के समय परिचालन की जवाबदेही मुखिया की होगी। इन नावों में आदर्श नियमावली नौका परिचालन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था कर दी जाय। इन नावों के परिचालन हेतु पंचायतों के युवकों को **BSDMA** द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। निदेश दिया गया कि इस सुझाव की समीक्षा कर योजना बनायी जाय।"*

सुलभ प्रसंग हेतु दिनांक– 06.09.2017 को सम्पन्न बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक की कार्यवाही संलग्न है।

3. इस संबंध में सूचित करना है कि योजना एवं विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–6737 दिनांक– 19.12.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में नाव क्रय की योजना को सम्मिलित किया गया है एवं पत्रांक 2386, दिनांक–15.05.2018 (प्रति संलग्न) के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत नाव क्रय की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि जिलों में आवश्यकता के अनुरूप नये देशी नावों की व्यवस्था योजना एवं विकास विभाग के उपरोक्त संकल्प/पत्र के अनुसार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
20/07/18
सरकार के अपर सचिव

पत्र संख्या–6 / बैठक / आ0प्र0प्रा0–2 / 2015......... / प्राधि0

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल पंत भवन–800001

प्रेषक,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषय– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक–06.09.2017 को आयोजित प्राधिकरण की 10वीं बैठक की अनुमोदित कार्यवाही प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक–06.09.2017 को आयोजित प्राधिकरण की 10वीं बैठक की अनुमोदित कार्यवाही की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त

विश्वासभाजन

(सॉवर भारती)

सचिव

माननीय **मुख्यमंत्री**–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक, दिनांक–06.09.2017 की कार्यवाही।

उपस्थिति–अनुलग्नक 'I' पर ।

बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतियों एवं बैठक में उठाए विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

क्र0	कार्यसूची में अंकित विषय/प्रस्ताव	निर्णय/निदेश	अनुपालन का दायित्व
1	01–गत बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि	संपुष्ट किया गया	–
2	02–प्राधिकरण के विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति	मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि चूँकि प्राधिकरण के 5वीं बैठक से 9वीं बैठक तक के विभिन्न निर्णयों का अनुपालन अबतक लंबित हैं। यह भी संभव है कि इनमें से बहुत से निर्णय आज की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक नहीं हों। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि अनुपालन के बिन्दुओं की पुर्नसमीक्षा कर यह देख लिया जाय कि किन–किन निर्णयों के अनुपालन की वास्तव में आवश्यकता रह गयी है। जिन बिन्दुओं के अनुपालन की आवश्यकता रह गयी हो, उन्हें प्राधिकरण की अगली बैठक में समीक्षा के साथ रखा जाय। अगली बैठक नवम्बर, 2017 की किसी तिथि को मा0 मुख्यमंत्री की सुविधानुसार निर्धारित करा लेने का निदेश दिया गया।	प्राधिकरण
3	03– प्राधिकरण द्वारा गत बैठक से अब तक किए गए कार्य (अनुलग्नक II पर)	(1) माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष गत बैठक से अबतक प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यो से अवगत हुए। (2) बैठक में बताया गया कि NDMA से प्राधिकरण एवं 15 DDMAs के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त राशि का उपयोग मानव संसाधन एवं आधारभूत सुविधाओं के मद में किया जाना है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि उपरोक्त 15 DDMAs के साथ राज्य के शेष DDMAs के सुदृढ़ीकरण हेतु भी विचार किया जाए। (3) बैठक में बताया गया कि NDMA द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहयोग से मधुबनी एवं अररिया जिलों में "राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा" कार्यक्रम	– प्राधिकरण प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग

(NSSP)संचालित किया गया, जिसकी अवधि मार्च, 2017 तक थी। इस योजना की बची हुई राशि से NDMAके साथ विचार–विमर्श कर इन दोनों जिलों के कुल 3 (तीन) विद्यालयों में रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जो पूर्ण होने की स्थिति में है। मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों का चरणबद्ध ढंग से RVS कराकर इनके Retrofitting का कार्य कराया जाए। BSDMA द्वारा इन कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं शिक्षा विभाग अपने बजट में राशि का आवश्यकतानुसार प्रावधान करेगा।

(4) मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के द्वारा निदेश दिया कि राज्य के सभी अस्पताल भवनों का भी चरणबद्ध ढंग से RVS कराकर Retrofitting कराया जाए। BSDMA द्वारा इन कार्यों में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने बजट में इस हेतु राशि का आवश्यकतानुसार प्रावधान करेगा।

(5) NDMA के वित्तीय सहयोग से संचालित "आपदा मित्र" की परियोजना के संबंध में निर्णय हुआ कि "आपदा मित्र" नामकरण से भविष्य में कई तरह की व्यवहारिक कठिनाईयाँ आ सकती हैं, अतएव इस परियोजना का कोई अन्य उपयुक्त नाम रखा जाए।

(6) प्राधिकरण के Professionals की चार टीमों द्वारा किशनगंज/अररिया/पूर्वी चम्पारण/प0 चम्पारण के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से आँकड़े इक्कठा किए गए हैं।

मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा अध्ययन के परिणामों से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(7) बताया गया कि नाविकों/नाव मालिकों के प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण के दौरान कतिपय जिला पदाधिकारियों का सुझाव आया है कि सरकार द्वारा नावों की खरीदगी के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से नाव खरीदने वालों को 50% राशि अनुदान में देकर उनसे अनुबंध करा लिया जाये।

प्राधिकरण एवं वित्त विभाग

प्राधिकरण द्वारा NDMA से तदनुसार अनुरोध किया जाएगा एवं राज्य में इसका उपयुक्त नामकरण किया जाएगा।

प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन

		मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने निदेशित किया कि सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार–विमर्श कर योजना तैयार की जाए। (8) मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में अनौपचारिक रूप से यह सुझाव आया है कि प्रत्येक बाढ़ प्रवण पंचायत में 5–5 नावें सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जायें, जिसके रख–रखाव एवं बाढ़ के समय परिचालन की जवाबदेही मुखिया की होगी। इन नावों में "आदर्श नौका परिचालन नियमावली" के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था भी कर दी जाए। इन नावों के परिचालन हेतु पंचायतों के युवकों को BSDMA द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। निदेश दिया गया है कि इस सुझाव की समीक्षा कर योजना बनायी जाए।	विकास विभाग/वित्त विभाग नावों (रख–रखाव एवं सुरक्षा उपकरणों सहित) की व्यवस्था– आपदा प्रबंधन विभाग/पंचायती राज विभाग/योजना एवं विकास विभाग। नाविकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था–प्राधिकरण
4	प्राधिकरण के वर्ष 2014–2015 एवं 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन का उपस्थापन। वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया है। वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है।	सूचना ग्रहण की गयी।	वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से रखा जाएगा। कार्रवाई : प्राधिकरण /आपदा प्रबंधन विभाग
5	प्राधिकरण की वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 की प्रस्तावित कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति (अनुलग्नक ।।।पर)	निदेशित किया गया है कि Activity-Wiseबजट नवम्बर,2017 में होने वाली आगामी बैठक में रखा जाए। प्रस्तावित कार्य योजना की स्वीकृति निम्न सुझावों/संशोधनों/Observations के साथ दी गयी: (1)"जिला आपदा प्रबंधन योजना" जमीनी वास्तविकता के आधार पर तैयार होनी चाहिए तथा यह Actionable एवं Doableभी होनी चाहिए। (2)"City Disaster Management Plan" प्रथम चरण में बिहार के सभी नगर निगमों के लिए तैयार कराया जाय।	प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

		(3) प्राधिकरण को "प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन" के कार्यक्रमों को प्रथम प्राथमिकता में रखना है।	प्राधिकरण
		(4) वज्रपात के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि वज्रपात से जान की काफी क्षति हो रही है। यदि वज्रपात [illegible] की सूचना आधा घंटा पहले भी प्राप्त हो जाती है, तो जान की क्षति रोकी जा सकती है। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर EWS पर विभाग द्वारा कार्य चल रहा है। प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि इसके लिए जो Action Planबनाया जा रहा है, वह जन–जागरूकता को केन्द्र में रखकर बनाया जा रहा है। निदेश दिया गया कि EWS एवं Action Planशीघ्र तैयार हो।	EWS-आपदा प्रबंधन विभाग Action Plan-प्राधिकरण
		(5) लघु बांधों के सर्वेक्षण के प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में निदेशित किया गया कि अभी इसकी आवश्यकता नही है। चूंकि जमींदारी बांध के संबंध में सूचना जल संसाधन विभाग के पास है और मनरेगा की राशि से बांध बनाने की सूचना ग्रामीण विकास विभाग के पास है, प्राधिकरण को संबंधित विभाग से उक्त सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए।	प्राधिकरण
6	06– प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं जन–संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापनों/सलाहों/एडवाइजरी आदि के विपत्रों के भुगतान के संबंध में विचार।	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि सरकारी विभागों की तर्ज पर ही प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापनों/सलाहों/एडवाइजरी आदि के भुगतान पर विचार किया जाए। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे विज्ञापनों का विपत्र सूचना एवं जन संपर्क विभाग से प्राधिकरण को प्राप्त होता है, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा सीधे समाचार पत्रों के प्रबंधन को किया जाता है। समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस मद में पूर्व वर्षों की भी काफी राशि भुगतान हेतु बकाया है। निर्णय हुआ कि मुख्य सचिव द्वारा सभी पक्षों की बैठक बुलाकर मामले का समाधान निकाला जाएगा।	मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्राधिकरण
7	07–बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–16) का प्रस्तुतीकरण	प्राधिकरण की नवम्बर माह की अगली बैठक में विस्तृत रूप से इसका प्रस्तुतीकरण हो।	प्राधिकरण
8	08– बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अनुशरण में विभिन्न	प्राधिकरण की नवम्बर माह की अगली बैठक में समीक्षा होगी।	आपदा प्रबंधन विभाग

विभागों / एजेन्सियों द्वारा किए गये कार्यों की समीक्षा		
09- अन्यान्य (1) भूकम्परोधी निर्माण संबंधी प्रशिक्षण सत्रों में अभियंताओं की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में।	मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा सभी कार्य विभागों को निदेशित किया गया कि प्रशिक्षण के दौरान विभागीय अभियंताओं को निश्चित रूप से ससमय भेजा जाय तथा प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वापस नहीं बुलाया जाय।	सभी कार्य विभाग
(2) आपदा प्रबंधन भवन के निर्माण पर विचार, जिसमें प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, BSIDM, SEOCआदि सभी एक छत नीचे रहें।	मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि गृह विभाग को पुराना सचिवालय में आवंटित भवन दिसम्बर, 2017 में खाली होने की संभावना है। अतएव उक्त भवन में आवश्यकतानुसार स्थान आवंटित किये जाने पर मुख्य सचिव बैठक कर समाधान निकालें।	भवन निर्माण विभाग
(3) राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्राधिकरण के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल करने पर विचार।	अनुमोदित। परन्तु नियमित पदाधिकारी भाग लेगें।	आपदा प्रबंधन विभाग
(4) परिवहन विभाग में गठित "राज्य सड़क सुरक्षा समिति" में प्राधिकरण के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने पर विचार ।	अनुमोदित	परिवहन विभाग
(5) अध्यक्ष की अनुमति से लिए गये विषय	(1) राज्य में NDRF की तर्ज पर SDRF की एक बटालियन का गठन किया गया है। एक बटालियन में कुल 18 टीमें होने का प्रावधान है। प्रत्येक टीम में 45 कार्मिक होते हैं।वर्त्तमान में SDRF में 16 टीमें है। SDRF का उपयोग बाढ़ एवं भूकम्प के अलावा अगलगी एवं चक्रवाती तूफान में भी किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि SDRF में टीमों की संख्या वर्त्तमान की 16 से बढ़ाकर 50 करने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए पूर्व की भांति बिहार सैन्य पुलिस में अतिरिक्त पदों का सृजन भी किया जाए। वर्त्तमान में SDRFमें 16 टीमों के कार्यरत	आपदा प्रबंधन विभाग / गृह विभाग

		रखने की सूचना दी गयी। (2) पहली बार बिहार के समतल इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतएव निर्णय लिया गया कि इसके कारणों का अध्ययन संयुक्त रूप से NDMA तथा BSDMA द्वारा कराया जाए। बैठक में उपस्थित NDMA के सदस्य, श्री कमल किशोर इस प्रस्ताव से सहमत हुए। (3) बिहार में 6 करोड़ से भी अधिक मोबाईल फोन के उपभोक्ता हैं। निर्णय लिया गया कि उपभोक्ताओं के बीच आपदा जागरूकता के लिए मोबाईल फोन के माध्यम से संवाद प्रेषण पर विचार किया जाए। (4) प्राधिकरण में गठित परामर्शदात्री समितियों के संबंध में विचार विमर्श कर निदेशित किया गया कि यह देख लिया जाए कि विभिन्न समितियों के सदस्य अपने विषय के जानकार हों। (5) मा0 उप मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सभी निजी नावों में सरकार की ओर से लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि नाव दुर्घटनाओं से होने वाली जन हानि में कमी लायी जा सके। निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का परीक्षण कर सरकार के समक्ष ठोस प्रस्ताव लाया जाए।	NDMA / प्राधिकरण आपदा प्रबंधन विभाग / प्राधिकरण प्राधिकरण आपदा प्रबंधन विभाग / बिहार विभाग

अंत में बैठक की कार्यवाही सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

9/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(7)

बिहार सरकार
योजना एव विकास विभाग

संकल्प

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका–6 में संशोधन ।**

विभागीय संकल्प संख्या–2905 दिनांक 11.07.2014 द्वारा प्रचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 6 में संशोधन के उपरात विभागीय सकल्प संख्या–3210 दिनांक 22.06.2016 द्वारा अनुमान्य योजनाओं की सूची अधिसूचित की गयी है। पुनः संकल्प संख्या 3210 दिनांक 22.06.2016 द्वारा अधिसूचित अनुमान्य योजनाओ की सूची मे विभागीय सकल्प संख्या 5321 दिनांक 14.09.2016 द्वारा कंडिका 6(32) एवं 6(33) संकल्प संख्या 553 दिनांक 9. 02.2017 द्वारा कंडिका 6(34), 6(35) एवं 6(36) और संकल्प संख्या 2892 दिनांक 01.06.2017 द्वारा कडिका 6(37) का समावेश करते हुए योजनाओं की अनुमान्य योजना सूची में कतिपय योजनाओं को जोडा गया है। मार्गदर्शिका की कंडिका–6 मे सशोधन के पुनः प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न योजनाओं को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है :–

(I) **मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–6** (योजनाओं का चयन) मे निम्न योजनाओ को सम्मिलित किया जाता है :–

6(41) गली–नाली/सम्पर्क पथ योजना :–

शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में उन गली–नाली/सम्पर्क पथों का कार्यान्वयन जो वर्तमान मे किसी अन्य कार्यक्रम/मद/योजना के तहत क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा हो।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत गली–नाली/सम्पर्क पथ की योजना की स्वीकृति के साथ ही इसे सात निश्चय योजना/अन्य मद की योजना की चयनित सूची में से हटा दिया जायेगा ताकि योजनाओं का दोहरीकरण नही हो सके।

6(42) जलापूर्ति योजना :–

(क) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना के तहत उन योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन कराया जाना, जिन योजनाओं का चयन विकसित बिहार के सात निश्चयों में से एक "हर घर नल का जल" के तहत नहीं किया गया है।

(ख) कतिपय टोले, जो गॉवो से अलग हटकर बस गये हैं, उस टोले में जलापूर्ति पंपिंग सेट/बोरिग के माध्यम से कराया जाना।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों मे परम्परागत पेयजल स्रोत के रूप में उपयोग किये जाने वाले सार्वजनिक कुओ का जीर्णोद्धार ।

गली–नाली/सम्पर्क पथ एवं जलापूर्ति योजना के तहत योजनाओ की स्वीकृति देने के पूर्व संबधित जिला के उप विकास आयुक्त के माध्यम से सभी संबंधित कार्यकारी एजेंसियां से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित योजना सात निश्चय/अन्य योजनाओं के तहत सम्मिलित नहीं है और यदि है तो वहॉ से विलोपित कर दिया जायेगा।

6(43) नाव का क्रय ।

- **साथ ही मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6(क)(1) को निम्न प्रकार संशोधित समझा जायेगा :–**

"किसी प्रकार के चल–अचल सम्पत्ति की मरम्मति एवं अनुरक्षण सबधी कार्य (पेयजल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में परम्परागत पेयजल स्रोत के रूप में उपयोग किये जाने वाले सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार की योजना को छोडकर)"

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
18/12/17
(कृष्ण कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

(6)

ज्ञापाकः यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010–6737 / यो.वि.,पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि बिहार विधान मण्डल के माननीय सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाकः यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010– 6737 / यो.वि.,पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव, बिहार / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010–6737 / यो.वि.,पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपिः सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010–6737 / यो.वि.,पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010–6737 / यो.वि.,पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाकः यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010–6737 / यो.वि.,पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि. प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई–गजट में प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव

(9)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–1/2018 2386 /यो0वि0, दिनांक 15 मई, 2018

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार।

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत नाव क्रय के मार्गदर्शन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6737 दिनांक 19.12.2017 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में नाव क्रय की योजना को सम्मिलित किया गया है। माननीय विधान मंडल सदस्यों से इस योजना के संबंध में अनुशंसा प्राप्ति के उपरांत नाव क्रय की प्रक्रिया में निम्न निदेशों का अनुपालन किया जाएगाः–

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप माननीय विधान मंडल सदस्यों से नाव क्रय की अनुशंसा प्राप्त होने पर जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन शाखा को अनुशंसा पत्र की छायाप्रति प्रेषित किया जायेगा।
2. अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन, शाखा द्वारा अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित प्रखण्ड/पंचायत में आवश्यकतानुसार नाव की संख्या एवं आकार (बड़ी, मझोली एवं छोटी) का निर्धारण किया जाएगा एवं इसकी सूचना जिला योजना पदाधिकारी को दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक श्रेणी के नाव के लिए निर्धारित विशिष्टि, दर एवं विधिवत चयनित आपूर्तिकर्त्ता का नाम एवं पता की सूचना भी जिला योजना पदाधिकारी को अपर समाहर्त्ता जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
3. अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन शाखा से नाव की श्रेणी, दर एवं विधिवत चयनित आपूर्तिकर्त्ता का नाम एवं पता उपलब्ध होने के उपरान्त मार्गदर्शिका की संगत नियमों के आधार पर माननीय विधानमंडल सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं चयनित आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। इसकी एक प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के संबंधित कार्य प्रमण्डल को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को नाव उपलब्ध कराया जायेगा जिनके द्वारा नाव का रख–रखाव, अनुरक्षण, निबंधन एवं परिचालन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/परिवहन विभाग बिहार से निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा नाव आपूर्ति की सूचना जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के संबंधित कार्य प्रमण्डल एवं अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)

6. नाव की आपूर्ति के उपरान्त आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अंचलाधिकारी से प्राप्त नाव प्राप्ति प्रमाण–पत्र एवं नावों की आपूर्ति के विरूद्ध विपत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. आपूर्ति की गई नाव की गुणवता की जाँच स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय या उनके द्वारा प्राधिकृत तकनीकी पदाधिकारी, संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी के साथ जिला योजना पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। उनसे प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार राशि का भुगतान नाव आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा किया जाएगा।

अनुरोध है कि नाव क्रय से संबंधित उक्त निदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(मनीष कुमार वर्मा)
सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–1/2018 2386 /यो0वि0, दिनांक 15 मई, 2018
प्रतिलिपिः बिहार विधानमंडल के माननीय सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–1/2018 2386 /यो0वि0, दिनांक 15 मई, 2018
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–1/2018 2386 /यो0वि0, दिनांक 15 मई, 2018
प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्ता, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–1/2018 2386 /यो0वि0, दिनांक 15 मई, 2018
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

पत्रांक–1 / प्रा0आ0–84 / 2003 3667 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी मुंगेर, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 13/12/17

विषय: **नई सरकारी देशी नावों के क्रय के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–5298, दिनांक–09.12.2013 द्वारा बाढ़ आपदा के दौरान उपयोग हेतु अतिबाढ़ प्रवण जिलों में 300–300 एवं बाढ़ प्रवण जिलों में 150–150 नई नावों का क्रय / निर्माण का निदेश दिया गया है। परन्तु वर्तमान बाढ़–2017 के दौरान पाया गया की जिलो में विभागीय निदेश के बावजूद पर्याप्त संख्या में नावें उपलब्ध नहीं रहती हैं, जिसके कारण अन्य जिलों से बाढ़ प्रभावित जिलों में नावों को भेजना पडता है। फलस्वरूप अनावश्यक रूप से समय एवं राशि का व्यय होता है। साथ ही बचाव एवं राहत कार्यो में भी विलम्ब होता है। **दिनांक–06.09.2017 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक बाढ़ प्रवण पंचायत में 5–5 नावें उपलब्ध करा दी जायेंगी, जिसके रख–रखाव एवं बाढ़ के समय परिचालन की जवाबदेही संबंधित मुखिया की होगी। उक्त नावों में "आदर्श नौका परिचालन नियामवली" के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।**

दिनांक–29.11.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में नई सरकारी देशी नावों के क्रय हेतु जिलों को राशि आवंटित नहीं करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिलों में पूर्व से उपलब्ध सरकारी देशी नावों का जिलों से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा Random Verification के पश्चात् ही पूर्व में क्रय किये गये नावों के बकाया राशि के भुगतान हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

13/12/17
अपर सचिव

ज्ञापांक 3667 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक 13/12/17

प्रतिलिपि:–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना / सारण / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / सहरसा / पूर्णियाँ / भागलपुर / मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/17
अपर सचिव